HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17022/2025

Kanhaiyalal S/o Sh. Laxman Lal, Aged About 45 Years, R/o 701 Bal Leela Marg, Vinod Nagar, Beawar, Police Thana Saket Nagar, District Beawar. (At Present Confined In District Jail Beawar).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vaishnav Saurabh Mr. Anirudh Tyagi Mr. Saurabh Vaishnav
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Sharad Purohit

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना ब्यावर सिटी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 467/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 से अभिरक्षा में है, उसके पुत्रों के द्वारा माईन्स को अलग अलग लोगों को बेचान कर लिखापढ़ी कर धोखाधड़ी की है, उससे प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक कृत्य स्पष्ट नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। Kanhaiyalal Versus State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application. No. 17011/2025, order dated- 20.01.2026 के द्वारा सहअभियुक्त कन्हैयालाल की जमानत समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने पुत्रों धीरज सोलंकी और उत्तम सोलंकी के साथ मिलकर इस तथ्य को छिपाते हुए कि उन्होने माईन्स का बेचान अन्य को कर दिया है, परिवादी को उक्त माईन्स का बेचान कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 2 आपराधिक रिकॉर्ड है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में इस प्रकरण में दो दस्तावेज निष्पादित हुए। एक दस्तावेज दिनांक 28.12.2024 को निष्पादित हुआ, जिसमें उत्तम सोलंकी व रविन्द्र सिंह व धीरज सोलंकी का नाम अंकित है। दूसरा जो दस्तावेज दिनांक 06.05.2025 को निष्पादित हुआ जो परिवादी के पक्ष में निष्पादित हुआ, वह धीरज सोलंकी और तरूण कुमावत के मध्य दिनांक 06.05.2025 को निष्पादित हुआ। दोनों दस्तावेजों में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष या अन्य कोई पक्ष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कन्हैयालाल पुत्र श्री लक्ष्मण लाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद,

उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /36